भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1757

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

पंजाब में वर्तमान में चलाई जा रही कौशल विकास योजनाएं

1757. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब राज्य में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में चल रही परियोजनाओं तथा योजनाओं के ब्यौरे सहित इनके दायरे, लाभार्थियों और प्रगति की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई ऐसी राष्ट्रीय कौशल विकास योजनाएं या परियोजनाएं हैं, जिन्हें पंजाब में लागू नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) सरकार द्वारा पंजाब में ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या इसका समाधान करने के लिए कोई विशेष समय-सीमा या कार्य-योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) भारत सरकार, एमएसडीई के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस), पंजाब सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः

कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान करने के लिए है। पीएमकेवीवाई के तहत पात्र आयु समूह 15-59 वर्ष है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है। आईटीआई में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड ट्रेड/पाठ्यक्रम के आधार पर 8वीं, 10वीं या 12वीं पास है, तथा न्यूनतम आयु मानदंड 14 वर्ष है।

पंजाब में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं अर्थात पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और सीटीएस (आईटीआई) के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024 तक)	1,28,913
जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक)	20,433
एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025) तक	63,496
सीटीएस (आईटीआई (सत्र वर्ष 2018 से वर्ष 2024)	2,91,278

*****